जो सरकारी प्रापर्टी पर अनआथराइज्ड कब्जा किया जाता है उस समय सरकार कहां चली जाती है कारपोरेशन कहां चली जाती है उस समय डी० डी० ए० कहां चला जाता है। यह केवल एक भ्रष्टाचार का मामला है जिसको बहुत कड़ाई के साथ रोकना चाहिये और इन अनियमित बाजारों, अनियमित भवनों, अनियमित ढंग से इ। सरकारी जमीनों पर कब्जों को रोकना चाहिये नहीं तो यह साबित करता है कि चाहे डी० डी० ए० हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कारपोरेशन के अधिकारी हों यह सब भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं इसी कारण अनियमित रूप से इन भवनों का निर्माण होता चला जा रहा है।

THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) AMENDMENT BILL, 1987

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : उपसभापति महोदया मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

> "वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है विचार किया जाए।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 एक ऐसा कानून है जिसमें वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और शमन की व्यवस्था की गई है। यह कानून स्टाकहोम में जून, 1972 में मानव पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत पारित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था।

वायु अधिनियम को लागू करने में कुछ प्रशासनिक और व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आई हैं। विगत वर्षों के दौरान केन्द्रीय और राज्य बोर्डों द्वारा अधिनियम को लागू करने में निम्नलिखित मुख्य कमियां सरकार के ध्यान में लाई गई।

शोर, जो वायु प्रदूषण का एक रूप है, अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता।

यद्यपि अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत केन्द्रीय बोर्ड को राज्य बोर्डों को निर्देश देने का अधिकार है, परन्तु अधिनियम में यह नहीं बताया गया है कि यदि राज्य बोर्ड लगातार इन निर्देशों का उल्लंघन करें तो क्या कार्यवाही की जाए।

अधिनियम में औद्योगिक यूनिटों को केवल औद्योगिक यूनिट के संचालन के संबंध में केन्द्रीय/राज्य बोर्डों की अनुमति लेने की व्यवस्था है। परिणामस्वरूप कई बार अज्ञानता, वास्तविकता या बहानाबाजी के कारण पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए बिना औद्योगिक यूनिटों का निर्माण कर दिया जाता है और बोर्डों को यूनिट का निर्माण हो जाने के बाद इसे चालू करने से कुछ ही समय पहले अनुमति देने के लिए कहा जाता है। वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत संयंत्र की स्थापना और परीक्षण के समय उससे जो प्रदूषण होता है, बोर्ड उसको नियंत्रित नहीं कर सकता।

अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उसके साथ एक अनुसूची संलग्न की हुई है, जिसमें उन उद्योगों को बताया गया है, जिन्हें चालू करने से पहले बोर्डो से वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में अनुमति लेनी आवश्यक है। उद्योग अक्सर इस तर्क पर अनुमति लेने से बचने की कोशिश करते हैं कि वे अनुसूचीं के अन्तर्गत नहीं आते। कई वायु प्रदूषक उद्योगों को अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है।

इस सम्बन्ध में अदालतों में जो मामले दायर किए जाते हैं वे काफी समय ले लेते हैं और बोर्ड के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके अंतर्गत वह प्रदूषण रोकने के लिए कोई अन्य कार्यवाही कर सके।

अपराधी प्रतिष्ठान को बन्द करने या पानी और बिजली जैसी सेवाएं देना, बन्द

[श्री भजन लाल]

करने या विनियमित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे लगातार प्रदूषण होते रहने से वायु की गुणवत्ता को भारी नुकसान पहुंच जाए ।

अधिनियम के अन्तर्गत की गई दण्ड व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ।

अपने कार्यों को भली-भांति निभाने के लिए बोर्डों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं ।

सरकार ने राज्यों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय विभागों से विचार-विमर्श करके इन मामलों की विस्तार से जांच-पड़ताल की है । उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में कुछेक संशोधन प्रस्तावित किए हैं ।

वायु प्रदूषण की परिभाषा का विस्तार करके उसमें शोर से होने वाले प्रदूषण को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के व्यावहारिक अनुभव से यह महसूस किया जा रहा है कि जब किसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाए तो विशेष प्रयोजनों के लिए खास अवधि के लिए केन्द्रीय बोर्ड को राज्य में राज्य बोर्ड का कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाए । ऐसी परिस्थितियों में अन्य बातों के अलावा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा धारा 18 के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों की राज्य बोर्डों द्वारा लगातार अवहेलना किए जाने से उत्पन्न गम्भीर आपातकालीन स्थिति भी शामिल होगी । इसका निर्दिष्ट अवधि के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अपने हाथ में लिए राज्य बोर्डों के कार्य-क्षेत्रों के अलावा राज्य बोर्डों के सामान्य कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । केन्द्रीय बोर्ड द्वारा राज्य बोर्डों के कार्य करने की अवधि की लागत, यदि राज्य बोर्ड ऐसी लागत की वसूली के लिए अधिनियम के अधीन सक्षम है, व्यक्ति अथवा सम्बन्धित व्यक्ति से वह राशि लगान के बकायाजात के रूप में वसूल की जाएगी ।

इस समय किसी व्यक्ति को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति तभी लेनी होती है जबकि वह औद्योगिक संयंत्र का संचालन कर रहा हो । सभी चरणों में नियंत्रण रखने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाई की स्थापना के समय ही सम्बन्धित व्यक्ति के लिए अनुमति लेने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है । बोर्डों को यह भी अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव है कि वे अपनी अनुमति उपयुक्त अवधियों तक सीमित कर सकते हैं ताकि वे निर्धारित शर्तों की पालना पर निगरानी रख सकें और यदि शर्तें पूरी न की जायें तो आगे अनुमति देने से इंकार कर सकते हैं ।

यद्यपि अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा बोर्डों की है, फिर भी अधिनियम को कारगर रूप से लागू करने के लिए जन-सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है । माननीय सदस्य जानते है कि अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने के बारे में निर्धारित प्राधिकारियों को 60 दिन का नोटिस देने के बाद सभी लोगों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अदालत में शिकायत दायर करने का अधिकार है । परन्तु यह व्यवस्था प्रदूषकों को सजा दिलवाने में नागरिकों तथा पर्यावरण संगठनों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से की गयी है । अब इसी प्रकार की व्यवस्था वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में भी करने का प्रस्ताव है । 60 दिन का नोटिस इसलिए रखा गया है कि बेबुनियाद शिकायतें न हों और नोटिस अवधि के अन्दर शिकायत की प्राधिकारी जांच कर सकें । माननीय सदस्य देखेंगे कि वायु अधिनियम में एक नई व्यवस्था की जा रही है जो कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम में भी नहीं की गई है—अर्थात् यदि बोर्डों के पास ऐसी सूचना हो जो मुकदमे में सहायक हो सकती है, और जिसे देने में प्रशासनिक दृष्टि से कोई आपत्ति न हो तो बोर्ड ऐसी सूचना शिकायतकर्ताओं को देंगे । सरकार की मंशा यह है कि प्रदूषण का पता लगा कर प्रदूषकों को

सजा देने में सुविधा हो। यह व्यवस्था सरकारी अभिकरणों को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक भी रखेगी।

प्रदूषण, नियंत्रण के लिए, प्रदूषक के के विरुद्ध मुकदमा चलाना ही एकमात्र ऐसी कार्यवाही है जो बोर्ड कर सकते हैं। परन्तु अदालतों में इस सम्बन्ध में देरी होने से बोर्डों को निराशा होती है। अतः प्रस्ताव है कि बोर्डों को ऐसी शक्ति प्रदान की जाए जिससे वे वायु-प्रदूषण बन्द करने के लिए किसी प्रदूषक के खिलाफ अदालत में आवेदन-पत्र दे सकें। चूंकि अदालत के आदेशों के उल्लंघन से हुई अदालत की मान-हानि का प्रश्न बनाकर कार्यवाही की जा सकेगी, अतः लोग अधिनियम के पालन के प्रति अधिक जागरूक रहेंगे। जल (प्रदूषण-निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में भी इसी प्रकार की व्यवस्था विद्यमान है।

दण्ड देने के लिए बोर्डों के पास अनेक शक्तियां होने के बावजूद भी यह देखने में आया है कि प्रदूषण सम्बन्धी मामलों में अदालतों में देरी होने के कारण प्रदूषण होता रहता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम में केन्द्रीय सरकार या अधिनियम के अन्तर्गत गठित किसी प्राधिकरण को किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश जारी करने का अधिकार है। इस शक्ति में किसी उद्योग को निर्देश देने, बन्द करने, प्रतिबन्ध या नियमित करने, उसके लिए बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा का संचालन या प्रक्रिया बन्द करने या विनियोजित करने की शक्ति शामिल है। जहां भी प्रदूषण पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वहां इसे रोकना इस व्यवस्था का उद्देश्य है। अतः वायु प्रदूषण का कारगर ढंग से निवारण तथा नियंत्रण करने के लिए बोर्ड को इसी प्रकार की शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन शक्तियों का उपयोग केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अधीन होगा।

इस समय वायु अधिनियम के उल्लंघन के लिए जो दण्ड रखे गए हैं वे इतने कठोर नहीं है कि उनसे कोई निवारक प्रभाव पड़ सके। इन दण्डों को और कठोर बनाने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि इस समय केन्द्रीय और राज्य बोर्डों के पास अपने कर्तव्य ठीक प्रकार से निर्वाह करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। उनके वित्तीय साधन केवल उपहार, अनुदान, दान, उपकार दान और शुल्क हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारें इस समय अपनी वार्षिक योजनाओं के एक अंश के रूप में बोर्डों को अनुदान दे रही हैं। केन्द्रीय सरकार व राज्य बोर्डों को सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की है ताकि वे अपने तकनीकी स्टाफ को सुदृढ़ कर सकें और अपने उपकरणों में बढ़ोत्तरी कर सकें। वर्ष 1986-87 के दौरान 13 राज्य बोर्डों तथा 1987–88 के दौरान अब तक 3 राज्य बोर्डों को सहायता दी जा चुकी है। यह स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहेगी और हम सभी राज्यों को न्यूनतम आवश्यक तकनीकी स्टाफ रखने तथा उनके राज्यों में कम से कम पर्याप्त रूप से सुसज्जित एक प्रयोगशाला स्थापित करने में सहायता करेंगे। परन्तु सरकार की वित्तीय कठिनाइयां इतनी हैं कि बोर्डों को ऋण बांड, डिबेंचर इत्यादि जैसे साधनों से अपने वित्तीय साधन बढ़ाने का प्रावधान किया जायेगा।

अधिनियम के प्रावधानों को बोर्ड कारगर ढंग से लागू कर सकें, इसके लिए कुछ मामूली संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

महोदय, राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय विभागों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श करने तथा उनके सभी सुझावों पर ध्यान देने के बाद, संसद में प्रस्तुत संशोधित विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। संशोधन करने का उद्देश्य कानूनी और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ कर तथा जन-सहयोग प्राप्त कर कानून को कारगर ढंग से लागू करना है। मुझे विश्वास है कि इस संशोधन विधेयक का माननीय सदस्य समर्थन करेंगे।

[श्री भजन लाल]

मुझे यह भी विश्वास है कि अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन करके सरकार अधिक कारगर ढंग से वायु-सुरक्षा प्रदान कर सकेगी ।

The question was proposed.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: (West Bengal): Madam Deputy Chairman, perhaps, it is appropriate that on pollution, our hon. Minister Shri Bhajan Lal should have moved these amendments. Madam, in the Statement of Objects and Reasons, it has been stated that these amendments are based on experiences of the Central Pollution Board, by whichever name it was called and the State Pollution Boards and it has also been stated that these amendments take into account the views expressed in all these discussions. Madam, unfortunately, the amendments, as they stand, are of a very mixed quality and the reason really is not far to seek because we know that air pollution in particular is a phenomenon of the industrial and technological transformation that human society is undergoing. While water pollution is more closely connected perhaps with industry not less than in agriculture also through the washing of these fertilizers, pesticides etc., air pollution is primarily a phenomenon of urban civilization and we all know that it was talked of London with the first on-rush of industrial revolution we read in history and even now the atmosphere of London, its suburbs and the industrial districts are such that it is difficult for even a healthy person to sustain. They want to flee away those areas when winter fog descends there. Now because of this kind of origin, because of the fact that air pollution primarily originates from an industrial development whose motive power is capital, therefore, it seems that in trying to tackle air pollution, there is hesitation in the minds of the Government and therefore, it is reflected in the amendments also. One can easily see this, one sympathises but they were perhaps justified. If you try to introduce anti-pollution measures in the units producing goods, it adds to cost and if such costs in a market like that of India which is increasingly getting restricted because of increasing inequality of income, if addition to cost cannot be passed on to consumers, then it eats into the profits and therefore, the owners of such units, because they are concerned only with profit and not with what happens to society, it is only incidental, therefore, they will continue to pollute the atmosphere... the air and take the lives of common people and deal with them as if they also belong to the owners of capital. Therefore, Madam, because of this kind of things, though some improvements have been made by these amendments, they also do contain several aspects which can only go to the benefit of the owners of capital. I shall try to show how. What are the good things ?

One thing which I cannot but welcome is that in paragraph 2 it is mentioned that air pollution also includes noise pollution. This is absolutely welcome. Unfortunately today sound pollution is becoming a social phenomenon. It initiated with factories, with industrial units. Now it has gone beyond the premises of factories and is becoming a social phenomenon. I do not know how the bursting of crackers, the bursting of bombs can be controlled. And sound pollution before hospitals is a crime. It is easy to fight them but, unfortunately, the Governments everywhere are still very slow in tackling this.

It is also good that individuals have been permitted to go to the court against anyone who is polluting the atmosphere, polluting the air. It is good. But there is a caveat in that such individuals have to be aware of the prescribed manner in which to go to the court. And who reside near the factory ? The workers, their slums. They are not aware of what prescribed manner is there to go to the court. If individuals should be invited to go to the court fearlessly to apply the provisions of this Bill, the Government must consider and see that the manner prescribed is freely available as knowledge to all concerned. Unless that is done, this will be only a show-piece amendment without reltasing, without generating, the initiative of the common people. All the same, I welcome this

amendment as the first step towards doing this. It can be transferred into a big stride if supplementary measures are taken.

The third welcome feature is in not trying to limit the list of industries but broadening the scope to cover all the industries. This part is also very welcome.

But, Madam, while these are the strong points of the amendments, there are several weaknesses. One weakness is the quantum of punishment you are providing for. You try to define 'occupier'. I suspect, judging by what has happened in the past, that by trying to define very neatly who the occupier is, perhaps, you are trying to save the owner of the particular unit. The guilty person could be a clerk or a store-keeper and the owner goes scot-free. This will be in line with the dimensions of the influence that the owners have on the Government. Why do I suspect your concern, your consideration for the owners? Look at the punishment to be meted out. It is imposition of a fine of Rs. 10,000/- and/or a three months' imprisonment. Subsequent to that, of course, the provision is Rs. 5000 per day will be imposed. But look at Rs. 10000 and three months' imprisonment. Imagine Bhopal tragedy. Is it this kind of punishment that you like to give those multinationals? Why are you soft on this? Why cannot you say that they should be compulsorily imprisoned that those who are polluting the society via the atmosphere should be given prison sentence of not less than three years?

SHRI BHAJAN LAL: Five to seven years.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: If I am wrong, I will only be happy to be wrong. But I see the amendment to be three months and Rs. 10000. Anyway, you are pointing out the mistake and I will be very glad if I am wrong. The most obnoxious part of it is the provision that a State Board can be superseded by the Central Board. Now, as you know, the State Boards are constituted by the State Government. It has been provided that while for the Central Board the reports have to be placed before Parliament, for the State Boards the reports have to be placed before the State Legislature. But in regard to the power to supersede the State Boards the State Governments are nowhere in the picture. This is just another indication that perhaps, consciously or unconsciously, you are continuously trying to erode the powers of the State Governments in the country. There is not a word about the role of the State Governments in a case where the Central Pollution Control Board wants to supersede the State Board. Why is it so? Why should not the State Government be consulted? Why should not a provision be made that the State Government and the State Government alone, can supersede a State Anti-Pollution Board?

Let me conclude by saying that you have provided for a secretary who will be anybody who has experience in anti-pollution activities. My only submission is that you can find in the Government and outside and among our friends people who are experienced in polluting the atmosphere and it will be difficult to find somebody who has not polluted and who has anti-pollution experience.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the House stands adjourned for lunch and will meet at 2.30.

The House then adjourned for lunch at thirty-four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock. The **Vice-Chairman (Shri Mostafa Bin Quasem)** in the Chair